न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, .आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 334/2023

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. नाथुराम पुत्र केसराराम 2. सांगाराम पुत्र स्व0 केसराराम 3. गैरो देवी पत्नी स्व0 केसराराम (जाति जाट, निवासी ग्राम काश्मीर, तह0 शिव, जिला बाडमेर)		1. राज0 सरकार बजरिये तहसीलदार शिव जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी शिव आदेश कमांक 253 दिनांक 27.10.2017

उपस्थिति –
1. श्री मोहनलाल खत्री, वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.06.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी शिव के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2017 के द्वारा तहसीलदार शिव के पत्रांक 6656 दिनांक 27.12.16 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम काश्मीर के उल्लेखित खसरान की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स के खसरा नम्बर 1034/216 रकबा 41 बीघा भूमि के बीचोबीच रास्ता निकाला जाकर राजस्व रेकर्ड में उक्त खसरान का रकबा 19.12 बीघा एवं 21.02 बीघा अंकन करने का आदेश पारित किया गया है। जबकि अन्य खसरों में मांठ के किनारे रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तावित नक्शे में नजदीकी रास्ता नही दर्शाया गया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

है और न ही मौका फर्द बनाते समय संबंधित खातेदारों को बताया गया अथवा उनकी सहमती ली गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये एवं अपीलांट्स को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तहसीलदार शिव का प्रस्ताव सरसरी तौर पर स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जो विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित होने से अपास्त करने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10.8.16 के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा संचालित ''रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण अभियान–2016 के तहत चालू, सनातन, कदीमी एवं स्थाई रास्तों के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करवाने हेतु तहसीलदार शिव के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार शिव से प्राप्त प्रस्ताव कर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2017 को अपीलांट के ख0नं0 1034/216 की रकबा भूमि तक निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 20 जून, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

20.06.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर